न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 114/2013

सायला :-

1. इग्यारसी पत्नि स्व. रामदेव
   जाति-नट, निवासी-आसरलाई
   हाल-जैतारण, जिला-पाली।

बनाम

गै0सा0 :-

1. भगवती पत्नि पप्पूराम
   जाति-भाट निवासी-नछवा
   तहसील-सीकर जिला-सीकर(राज0)
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
   पंजीयन कार्यालय, जैतारण
   तहसील-जैतारण, (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.25.02.2013

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री कल्याण कुमार व्यास, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/06/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-आसरलाई, तहसील-जैतारण में सायला के पति रामदेव पुत्र गोरधन के नाम से खसरा नम्बर 1599/1533 रकबा 10-00 बीघा कृषि भूमि की आई हुई हैं, जो कि स्वर्गीय रामदेव को दिनांकः- 06/05/1976 को आंवटित हुई थी। उस दिन से लगातार सायला के पति का कब्जा व काश्त रहा है तथा दिनांक 16/04/1994 को सायला के पति की मृत्यु होने के बाद उस भूमि पर सायला का ही कब्जा व काश्त है। गैरसायला संख्या एक जाति से भाट है, जिसका इस जमीन से कोई लेना-देना नही हैं और न ही सायला की पति की पत्नि है। रामदेव पुत्र गोरधन की एक मात्र पत्नि सायला ही है, जो आज दिन तक जीवित है व सायला का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हैं। गैरसायला संख्या एक दिनांक 23/02/2013 को सायला के पास आई व कहा कि उक्त भूमि में मेरा नाम हैं व उक्त भूमि में बैचान करूँगी। जब इस गै0सा0 का पता किया तो पता चला कि उक्त महिला पप्पूराम भाट की पत्नि है, जो कि निवासी-नछवा की रहने वाली है। जिसने गलत नाम का फायदा उठा कर रामदेव की पत्नि बन कर जमीन बेचना चाहती है। जबकि उसका इस भूमि पर न तो कभी कब्जा काश्त था और नहीं कभी रामदेव की पत्नि थी। राजस्व अधिकारी ने भूल वंश अथवा कूट रचित कर रामदेव की पत्नि की जगह भगवती लिख दिया व म्यूटेशन सायला को बिना बताये व बिना प्रार्थना पत्र पर भर दिया। जबकि रामदेव की मात्र एक पत्नि सायला ही है और जो आज दिन तक जीवित है। गैरसायल संख्या एक ऐलानिया धमकी दी कि उक्त जमीन को फर्जी पत्नि बन कर गैरसायल संख्या दो के यहां जाकर बैचान कर देंगे। यदि ऐसा करने में गैरसायल सफल हो जाती है, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। जिन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सायला गलत ऐन्ट्री की घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमि में गैरसायलान राजस्व अधिकारीयों की गलती से रौंग एन्ट्री का फायदा उठा कर उक्त भूमि बेचान करना चाहते है। यदि उक्त भूमि बैचान कर देंगे, तो सायला को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी तथा सुविधा का सन्तुलन भी हर सूरत में सायला के पक्ष में है व दस्तावेज से भी साबित है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक भी सायला का ही है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आसलाई में पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण होने से उसकी उपस्थिति दर्ज की गई। उप पंजीयन अधिकारी ने जाहिर किया कि पक्षकार बनाया गया हैं। उससे किसी तरह का अनुतोष नहीं हैं। गै0सा0 संख्या 1 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25/02/2013 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-आसरलाई, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 1599/1533 रकबा 10-00 बीघा की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को न्यायालय हाजा के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25/02/2013 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner